न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 196 / 2022

अनवान : –

1. सतवीर पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. जैसाराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. सुरेश कुमार पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
4. भगतसिंह पुत्र आदराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. पालाराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
2. राजेराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर।
3. गुडडी पुत्री श्योलाल पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी मिठी सुरेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
4. बाधो पुत्री श्योलाल पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी मिटी सुरेरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
6. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांकः** 03/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 11 / 88 के ख0न0 631 की 9.4850 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 4 के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान के दादा श्योलाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उनके तीन लड़के आदराम, राजेराम, पालाराम व दो लड़किया गुडडी व बाधो हुई जिसमें से आदराम पुत्र श्योलाल फौत हो चुका है जिसके वारिसान सायलान है।

श्योलाल पुत्र लिखमाराम के फौत होने के बाद उक्त वाद भूमि उनके वारिसान के नाम विरासतन दर्ज हुई तथा [illegible] बाधो ने अपने हक व हिस्सा की 2.3124 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या [illegible] 23.08.2022 को करवा दी। उक्त दस्तबरदारी से किसी भी [illegible] हिस्से से महरूम [illegible] जा सकात है दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है तथा दस्बरदारी से कोई हक व हिस्सा तब्दील

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नही होते है न ही कोई विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है। दस्बरदारी से दस्तबरदार होने वाले सहखातेदार का उस खाता की भूमि से हक व हिस्सा समाप्त हो जाता है। गुडडी व बाधो का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही रहा है। गैरसायल संख्या 1 ता 2 के पक्ष में की गई दस्बरदारी दिनांक 23.08.2022 शुन्य व प्रभावहीन है क्योंकि उक्त हिस्सा में सालयान का भी गैरसायलान के साथ बहिब हक हिस्सा है।

वाद भूमि की गैरसायल संख 1 ता 2 ने अपनी बहिनो से दिनांक 23.08.2022 को अपने भाई के वारिसान को छोड़कर विधि विरूद्ध दस्तबरदारी अपने नाम करवा ली तथा उक्त विधि विरूद्ध दस्तबरदारी के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाना चाहते है। यदि हक से ज्यादा भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज जो जाती है तो गैरसायल सख्या 1 व 2 इसका अनुचित फायदा उठाकर वाद भूमि को रहन बैय करना चाहते है। अतः गैरसायल संख्या 1 ता 2 के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की रोही मौजा ललानाबास दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 11/88 की कुल 9.4850 हैक्ट भूमि में से गैरसायल संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज 11562/47425 हिस्सा भूमि यानि 2.3124 हैक्ट भूमि को गैरसायल रहन बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ललानाबस दिखनादा तहसील नोहर के खाता संख्या 11/88 की कुल 9.4850 हैक्ट भूमि में से संयुक्त तौर से अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम 11562/47425 हिस्सा यानि 2.3124 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखें अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः अप्राथीगण संख्या 3 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना इस आशय का पेश किया की गैरसायल संख्या 1 व 2 को जरिये दस्तबरदारी दिनांक 23.08.2022 द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार गैरसायल संख्या 1 ता 2 वाद भूमि पर काबिज है। भूमि न तो हक से ज्यादा दर्ज हुई है और न ही सायलान किस प्रकार की कोई घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। वाद भूमि श्योलाल के फौत होने के बाद सभी वारिसान के बहिब दर्ज हुई। लिछमा बेवा श्योलाल ने दस्तबरदारी दिनांक 08.10.1996 को वादीगण के पिता आदराम पुत्र श्योलाल के पक्ष में सब रजिस्ट्रार नोहर से करवाई थी। जिस समय अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 को भूमि नही मिली थी अब दो बहनों के नाम दर्ज भूमि राजेराम व पालाराम ने दस्बरदारी करवाकर वाद भूमि में तीनो भाईयों ने अपना हक हिस्सा पूर्ण कर लिया है। सायल क्लीन हैण्ड अदालत में नही आयी है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि दिनांक 23.08.2022 को कि गई दस्तबरादी से वाद भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज हुई है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि दिनांक 08.10.1996 को कि गई दस्बरदारी से वाद भूमि अकेले वादीगण के पिता के नाम दर्ज हुई है। प्रार्थीगण का कथन है कि दिनांक 23.08.2022 को की गई दस्बरदारी केवल गैरसायल संख्या 1 ता 2 के पक्ष में कि गई है जबकि दस्बरदारी सभी के पक्ष में बहिब होनी थी बल्कि अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त वाद भूमि में लिछमा पत्नी श्योलाल द्वारा अपना हक हिस्सा वादीगण के पिता के पक्ष में पहले ही जरिये दस्बरदारी दर्ज हो चुका है। उक्त विवेचनानुसार वाद भूमि में लिछमा ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पिता के पक्ष में तर्क कर दिया था एवं दो बहनों ने दिनांक 23.08.2022 को अपने दो भाईयों के पक्ष में तर्क कर दिया है। पक्षकारान के हक अधिकारों की घोषणा मूल वाद मे तय होने है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थीगण कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 29.08.2022 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/06/24 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:44:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर